23

संख्याः– 3014 /VI(1)/2013–02(01)/2012

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में श्री केदारनाथ धाम में अस्थाई 50 शौचालय के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–420/2–7–27/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री केदारनाथ धाम में अस्थाई 50 शौचालय के निर्माण हेतु वर्ष 2013–14 में पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 1000.00 लाख की धनराशि में से ₹ 15.22 लाख **(₹ पन्द्रह लाख बाईस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

(ix) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–52–चारधाम यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–593/XXVII(2)/2013, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S-13122605---द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।

संख्याः– 3014 /VI(1)/2013–02(01)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– अध्यक्ष, सुलभ इन्टरनेशनल देहरादून।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।